संख्या- /X-2-~~2012~~ 2013-12(31)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 18 फरवरी, 2013

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की योजना "रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी डेवलपमैन्ट" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 एवं शासनादेश सं0-607/XXVII(1)/2013 दिनांक 01 जनवरी, 2013 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्रांक नि-887/3-5(रा0सै0-रिसर्च टेक्नोलॉजी) दिनांक 22 नवम्बर, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की आयोजनागत पक्ष की योजना "**रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी डेवलपमैन्ट**" के राजस्व पक्ष में चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश संख्या-1159/X-2-2012-12(31)2012 दिनांक 20 जून, 2012 से निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹ 20.97 लाख शासनादेश संख्या-1553/X-2-2012-12(31)2012 दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 से निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹ 33.93 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में **₹ 8,00,000/- (₹ आठ लाख मात्र)** की धनराशि संलग्न-बी0एम0-9 पर उल्लिखित पुर्नविनियोग सहित व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि का आहरण करने से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण तथा औचित्य पर सक्षम स्तर से निर्णय कर लिया जायेगा।
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय. धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमान्तर्गत किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की प्रगति तथा उद्देश्य की पूर्ति संतोषजनक है. साथ ही पूर्व अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय /भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

E:\Ansari Sir\Budget-2012-13\Plan-2012-13\Plan G.O.-2012-13.docx

3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0–17 पर प्रत्यके माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. बी0एम0–13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश–फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
7. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
8. मानक मदों के आहरण प्रणाली के समबन्ध में शासनादेश सं0–ब–06/X–2–2010–12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
9. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली हाय.
10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1302270255 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.
14. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1638/XXX–1–12(25)2011, दिनॉक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.
15. योजना के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के माध्यम से स्वतन्त्र मूल्यांकन करने पर भी विचार किया जायेगा.

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के लेखा शीर्षक 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन –01 वानिकी 800–अन्य व्यय–12'रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी डेवलपमैन्ट के

निम्नलिखित सूची में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामें डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है:-

(धनराशि ₹ हजार में)

योजना का नाम/मानक मद	बजट प्राविधान	निर्गत धनराशि	अवशेष बजट	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति	अभ्युक्ति
रिसर्च एवं टेक्नालीजी डेवलपमेंट					
25- लघु निर्माण कार्य	1500	1500	0	400	(+) 400 पुर्नविनियोग
29- अनुरक्षण	1500	1500	0	400	(+) 400 पुर्नविनियोग
42- अन्य व्यय	1200	400	800	0	(-) 800 पुर्नविनियोग
योग	**4200**	**3400**	**800**	**800**	

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ आठ लाख मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-159(P)/XXVII(4)/2012 दिनांक 9 फरवरी, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्या- 127 (1)/X-2-2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, वित्तीय डाटा सेन्टर, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून को बी0एम0 9 की प्रशासकीय सहमति से सम्बन्धित प्रपत्र की प्रति एवं ऑन लाईन पुर्नविनियोग प्रपत्र Allotment Id R1302270087 दिनांक 11 फरवरी, 2013 की प्रति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु.
10. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, देहरादून.
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

E:\Ansari Sir\Budget-2012-13\Plan-2012-13\Plan G.O.-2012-13.docx

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - **20122013**

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **S1302270255**

अनुदान संख्या - **027**

अलोटमेंट आई डी - **S1302270255**

आवंटन पत्र दिनांक - 18-Feb-2013

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: **लेखा शीर्षक -** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन
800 - अन्य व्यय
00 - रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य सेक्टर)

01 - वानिकी
12 - रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य सेक्टर)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
08 - कार्यालय व्यय	200000	0	200000
09 - विद्युत देय	200000	0	200000
10 - जलकर / जल प्रभार	50000	0	50000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	60000	0	60000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकर	80000	0	80000
13 - टेलीफोन पर व्यय	150000	0	150000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	500000	0	500000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	100000	0	100000
18 - प्रकाशन	150000	0	150000
25 - लघ निर्माण कार्य	1500000	400000	1900000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	400000	0	400000
29 - अनुरक्षण	1500000	400000	1900000
42 - अन्य व्यय	400000	0	400000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्ध	100000	0	100000
	5490000	**800000**	**6290000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 800000

प्रपत्र बी0एम0– 9 (भाग – एक)
(देखें पैराग्राफ 139)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(इस प्रपत्र को भरने से पहले कृपया पृष्ठ के दूसरी और दिये अनुदेशों को सावधानीपूर्वक देख लें)

अनुदान सं0 व नाम –	अनुदान संख्या – 27
लेखा शीर्षक (प्रत्येक योजना हेतु)	
मुख्य शीर्षक	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन
उप मुख्य शीर्षक	01– वानिकी
लघु शीर्षक	800– अन्य व्यय
उप शीर्षक	1200– रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेंट
विस्तृत शीर्षक	अनुदान संख्या – 27 लेखाशीर्षक 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन 01– वानिकी 800– अन्य व्यय 1200– रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेंट

वित्तीय वर्ष: 2012–13

(धनराशि रू0 हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत/~~आयोजनेत्तर~~	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन की ~~जाने वाली राशि~~ वित्त वर्ष की अवशेष अवधि में व्यय	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत/~~अयोजनेत्तर~~	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वर्ष के दौरान ~~प्रत्याशित~~ अनुमानित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2406–01–800–12–00–42	1200	800	800	800	400	2406–01–800–12–00–25	1500	1900	400	400	1900
						2406–01–800–12–00–29	1500	1900	400	400	1900
योग–	1200	800	800	800	400		3000	3800	800	800	800

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

संख्या आर0ई0/ई0 127 /एक्स 2 दिनांक 18.2.2013

सेवा में,
महोलखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड,
देहरादून

हस्ताक्षर:
नाम व पदनाम: (मनोज चन्द्रन) सचिव, वन एवं पर्यावरण
प्रशासनिक विभाग: उत्तराखण्ड शासन

हस्ताक्षर:
नाम व
वित्त विभाग: (डा0 ... जोशी) अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2012-2013)
बी .एम. - ~~15~~ 9 .

अनुदान संख्या - 027
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 159(1)(P)/XXVII(4)/2012 dated

अलोटमेंट आईडी - R1302270087
दिनांक - 11-Feb-2013

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी (7)	अभियुक्ति
	2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय 12 रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य से 00 रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(राज्य (Plan Voted)					2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 800 अन्य व्यय 12 रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट(00 रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट((Plan Voted)				
1	42 - अन्य व्यय	1200000	313300	86700	800000	25 - लघु निर्माण कार्य	400000	1900000	400000	
						29 - अनरक्षण	400000	1900000		

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद ~~150,151,155,156~~ 153, 134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है ।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेन्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी जाय

संख्या आर०ई०ई० 127-/ एक्स 2 - दिनांक 18.2.2013

सेवा में,
महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड, देहरादून,

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम (मनोज चन्द्रन) सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन
प्रशासनिक विभाग

हस्ताक्षर
नाम व डा०एम०सी०जोशी अपर सचिव वित्त
वित्तविभाग।